पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 138/2022

अनवान :

शिशपाल पुत्र चानणमल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. चानणमल पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. रोहताश पुत्र चानणमल जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री चानणमल पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी निनाण हाल निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द कुमार गोयल एव वकील प्रतिवादीगण श्री संजय गोस्वामी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 52/40 के खसरा न0 17/1 की 4.6670है0, खसरा न0 37/1 की 0.6580है0 कुल 5.3250है0 बारानी म प्रतिवादी स0 1 चानणमल के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज वाद भूमि मे प्रतिवादी स0 1 चानणमल का नाम कलमजन कर वादी शिशपाल व प्रतिवादी स0 2 रोहताश को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने वादी, प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकु[illegible])
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner